Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Mutation Revision No.- 35/2018

Raitun Nishan ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.06.23	**आदेश** प्रस्तुत नामांतरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता–सह–अपीलीय पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा नामांतरण पुनरीक्षण वाद सं0–11/2010 में दिनांक 04.01.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों का अवलोकन तथा समीक्षा किया। प्रस्तुत मामले में आवेदिका के पति–रैसुद्दीन द्वारा अंचल अधिकारी, दिघलबैंक, किशनगंज के समक्ष नामांतरण वाद सं0–03/2007–08 दायर किया गया जिसमें पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष अपील सं0–07/2008–09 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा उक्त मामले में दिनांक 27.10.2009 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष नामांतरण पुनरीक्षण वाद सं0–21/2009–10 प्रारंभ किया गया जिसमें दिनांक 23.03.2010 को आदेश पारित करते हुए निष्पादित किया गया। अपर समाहर्त्ता के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा समाहर्त्ता, किशनगंज के समक्ष पुनः उपरोक्त पुनरीक्षण वाद सं0–11/2010 दायर किया गया एवं समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा यह द्वितीय पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है जबकि ''बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 की धारा–17'' के अंतर्गत समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के नामांतरण पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में ''द्वितीय पुनरीक्षण'' का प्रावधान बिहार अधिनियम	

Web Copy. Not Official.

		सं0–28, 1975 के आलोक में समाप्त कर दिया गया है। वर्त्तमान में क्रमशः	
	20.06.23	बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम–2011 की धारा 9(7)(क) के तहत् भी यह वाद पोषणीय नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को इस न्यायालय में ''पोषणीय नही'' (Not Maintainable) पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.